नानसी भाई गणेश भाई मिरानी

बनाम

भूपेन्द्र पी. पोपट व अन्य

23 मार्च 2007

[न्यायमूर्ति डा. अरिजीत पासवान व न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा]

न्यास - कार्यकारी समिति - कार्य व शक्तियां श्री लोहाना महापरिषद न्यास के कार्य से संबंधित मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें अदालत द्वारा सहमति से आदेश आदेश पारित किया गया, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी स. (1) ने अपील दायर की, उच्च न्यायालय ने कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष पद व चान न्यायासियों के चुनाव सहित 23 एजेंडा मदों पर विचार के लिए एक आम सभा की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। परिषद की मध्यस्ता महासमिति व सदस्यों के बहुमत के अनुरोध पर मद सख्या 9 सेवानिवृत न्यायसियों के स्थान पर चार न्यायासियों के चुनाव व मद संख्या 22 अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित मुददा उठाया गया। अध्यक्ष व चार न्यासी चुने गए, समय की कमी के कारण बैठक को बाद में शेष कार्यसूची के विषयों पर विचार के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तरदाता संख्या 01 न्यायसियों में सें एक का मुख्य मतदान अधिकर्ता था। अपीलार्थी के अनुसार अभी सदस्यों का उचित सूचना देने के बाद अगली बैठक आयोजित की गयी और कार्यसूची

के शेष विषयों पर विचार किया गया और अपनाया गया। पीड़ित प्रत्यर्थी स. 1 ने यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया कि शेष कार्यसूची पर निर्णय नव निर्वाचित परिषद/समिति द्वारा बाद की बैठक में नहीं किया जा सकता है। याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें कहा गया कि पुरानी कार्यकारी परिषद कार्यसूची के शेष मदों के संबंध में निर्णय लेने का एकमात्र निकाय था, जो निर्णय ले सकता था।

सहमति से दिये गये आदेश का उल्लंघन होने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

सहमति से आदेश पारित करने के बाद पूरे मामले को खोलने की गुजारिश व नवगठित कार्यकारी समिति के निर्णय के प्रभाव - इन पहलुओं पर विचार के लिए मामला उच्च न्यायालय को लौटाया गया।

अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि पुरानी कार्यकरनी परिषद का कार्यसूची के शेष विषयो पर निर्णय लेना घड़ी को पीछे कर देना होगा तब नयी समिति की प्रक्रिया कार्य व्यर्थ होगा। आम बैठक सभी योग्य व्यक्तियों को उचित सूचना के बाद आयोजित कि चि की जाकर प्रस्ताव निर्णय लिये गये है| उच्च न्यायालय ने शेष मदों पर पुरानी कार्य समिति को ही निर्णय लेने का हक़दार मानने और प्रतिवादी ने अध्यक्ष चुनाव हारने वाले अन्य उम्मीदवार के कहने पर याचिका को ग्रहण करने में त्रुटि की है।

उत्तरदाता का तर्क है कि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यसूची के मदों

पर विचार किया जाना था और केवल पुरानी कार्यकारी परिषद जिसने विभिन्न प्रस्ताव लिये थे, जिस पर विभिन्न कार्यसूची के मदों के संदर्भ में चर्चा की जानी थी, इन मदों के सम्बंध में नई कार्यकारी समिति की कोई भूमिका नहीं थी, शेष मदों पर पुरानी कार्यकारी समिति निर्णय कर सकती थी।

अपील काे निस्तारित करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामले में उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक ऋष्ठ पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा है कि -

सहमति से पारित आदेश के मामले को फिर से खोलने की गुंजाइश और पहले दिनांक 04.09.2005 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय व प्रस्तावों का प्रभाव इस संदर्भ में प्रत्यर्थी संख्या 01 के आवेदन के संधारण योग्य होने का प्रश्न, जिसके लिये कोर्ठ राय व्यक्त नहीं की गई है।

तद्नुसार उपरोक्त पहलुओं पर नये सिरे से विचार के लिये मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

(सिविल अपील न्याय निर्णय सिविल अपील संख्या 1554 वर्ष 2007 ए.एफ.ओ.सं. 427/2005 में सी.ए.सं.915/2005 में बोम्बे उच्च न्यायालय के 09.09.2005 दिनांकित निर्णय व आदेश से।

आर.एफ.नरीमन, एच.ए.रायपुरा, एस.एच. रायपुरा और आर.एम. विटठलानी - अपीलार्थी के लिये।

राजीव एन.नरूला और मनदीपसिंह आनंद - उत्तरदाताओं के लिये।

1. अनुमति दी गई

2. इस अपील में बम्बई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी स. 1 की प्रार्थना पर श्री लोहाना महापरिषद (न्यास) की नई बैठक आयोजित करने के निर्देश के आदेश को चुनौती दी गई है ।

3. अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक पहलुओं पर किया गया उल्लेख संक्षिप्त सन्दर्भ मे प्राप्त होना।

4. महापरिषद (न्यास) के कार्य के समय में एक मुकदमा दायर किया गया था। जिस पर सहमति के आधार पर उच्च न्यायालय ने महापरिषद के अध्यक्ष के चार न्यासियों के चुनाव के एजेंडे सहित 23 एजेंडो पर एक आम सभा की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया और तदनुसार मामले का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने आयुक्त की नियुक्ति की और 23 कार्यसूची मदों के विवरण की कार्यसूची व बैठक की सूचना 650 से अधिक सदस्यों को वितरित की और अहमदाबाद में 03.07.2005 की बैठक तय की गई। परिषद की मध्यस्ता मे महासमिति की बैठक आयोजित की गई। अधिकांश सदस्यों के अनुरोध पर मद स.9 सेवानिवृत न्यायासियों के स्थान पर चार न्याकियों के चुनाव के संबंधित कार्यसूची के मद स.22 अध्यक्ष के चुनाव से सम्बंधित पहले औपचारिक एजेंडा के बाद लिया गया। श्री जयंती लाल गोविन्द जी कुडलिया को अध्यक्ष चुना गया। यहाँ ध्यान देने योग्य है

कि अध्यक्ष और न्यासी के चुनाव में श्री कुडलिया व श्री चितलानी दोनों प्रतियोगी थे। श्री कुंडलिया को अध्यक्ष चुना गया, जबकि श्री चितलानी को नयाशी के रूप में चुना गया। उत्तरदाता स. 1 श्री भूपेंद्र पी पोपट श्री चितवानी के मुख्य मतदान एजेंट थे। यह विवादित नहीं है कि समय की कमी को देखते हुए शेष कार्यसूची मदों पर विचार करने के लिए बाद की तारीख के लिए बैठक को स्थगित कर दिया गया था। अपीलार्थी के अनुसार सभी सदस्यों को उचित सुचना देकर 4.9.2005 को बैठक आयोजित उतरदान की गई और कार्यसूची के शेष मदों पर विचार किया गया और उन्हें अपनाया गया। श्री भूपेन्द्र पी. पोपट ने शिकायत करते हुए आवेदन दायर किया कि शेष एजेंडा मदों पर निर्णय बाद की बैठक में नहीं लिया जा सकता था और केवल पहले का बोर्ड शेष एजेंडा मदों पर निर्णय ले सकता था न की नवनिर्वाचित बोर्ड।

5. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी स. 1 के रूप पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि नए बोर्ड के चुने जाने के बाद पुराना बोर्ड जिसका कार्यकाल 31.12 2004 को समाप्त हो गया था, कोई निर्णय नहीं ले सकता था। उच्च न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पुरानी कार्यकारी समिति कार्यसूची के शेष मदों के संबंध में निर्णय ले सकती थी, इसलिए सहमति आदेश मे निहित विशिष्ट आदेश का उललंघन किया गया था।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उच्च न्यायालय ने यह

मानते हुए त्रुटि कारित की है कि पुरानी कार्यकारी समिति को शेष मदों पर निर्णय लेना था, यह घड़ी को पीछे कर देना व नई समिति के चुनाव की प्रक्रिया को व्यर्थ कर देगा। दिनांक 04.09.2005 को बैठक पात्र व्यक्तियों को उचित सूचना देने के बाद आयोजित की गई थी और निर्णय लिए गये थे। उतरदाता के अध्यक्ष का चुनाव हारने वाले श्री चितवानी के कहने पर मामले में आवेदन दायर किया है जिस पर उच्च न्यायालय का विचार त्रुटि पूर्ण है।

7. जवाब मे उतरदाता के अधिवक्ता का कथन है कि कार्यसूची के महत्वपूर्ण विषयों जिन पर विचार किया गया था, वह केवल पुराणी कार्यकारी समिति के प्रसंग थे इन मदों पर नई कार्यकारी समिति की कोई भूमिका नहीं थी|

8. हम बैठक और उसमें लिये गये प्रस्ताव एवं निर्णयों परकोई मत देना उचित नहीं समझते, हम यह उचित पाते है कि उच्च न्यायालय सहमति आदेश पारित होने के बाद पूरे मामले को खोलने की गुजाईश तथा दिनांक 05.09.2005 को सभी उत्तरदाता व सभी सदस्यों को उचित सूचना देकर आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के प्रभाव व आवेदन की संधारण योग्यता के प्रश्नों पर नये सिरे से विचार करें। तदनुसार मामला उपरोक्त पहलुआें पर नये सिरे से विचार के लिये लौटाया जाना उचित पाया जाता है।

9. चूंकि मामला आवश्यक प्रकृति का है अतः हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते है कि आदेश, प्राप्ति की तारीख के तीन महीने मे मामले का अधिनिर्णय करें।

10. अपील का निस्तारण तद्अनुसार किया जाता है और खर्चे के बारे में कोई आदेश नही दिया जाता है।

11. अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चक्रवर्ती महेचा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।